

अनवान जगदीश कुमार बनाम नारायणराम वगैरा

प्रकरण संख्या :- पुराना नम्बर 89/2017 नया नम्बर 60/2025

वाद पत्र अं. धारा 88/53 आर.टी.ए.

नोट :- (संशोधन आदेश दिनांक 27.5.2026)

वाद पत्र में प्राप्त विभाजन अनुसार पारित डिक्री दिनांक 10.02.2022 में तहसीलदार राजस्व संगरिया के पत्रांक 1673 दिनांक 15.05.2025 द्वारा प्राप्त मार्गदर्शन एवं वादी संख्या 1 जगदीश कुमार पुत्र हजारीराम जाति जाट निवासी बोलावाली तहसील संगरिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 151,152 सीपीसी पर तहसीलदार संगरिया के पत्रांक प्रा.डिक्री/भू.अ./26/5236 दिनांक 24.12.2025 से पुनः प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर उक्त डिक्री में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है :- चक 16 बी.जी.पी. खाता सं. 39/1

- माया देवी पत्नी श्री अमृतदेव जाति जाट निवासी बोलावाली :-

प.नं.	मु.न.	किला नं.
172/157	8	15/0.038 है.,
173/157	7	10/0.051 है., 11/0.240 है., कुल रकबा 0.329 है.
- निर्मला देवी पत्नी श्री नारायणराम, कमलेश, मायादेवी, संजू, सरोज, राजाराम, पुत्र/पुत्रीयां नारायणराम का ब.हि.ब. का हिस्सा :-

प.नं.	मु.न.	किला नं.
173/156	4	23/0.076 है.,
173/157	7	14/0.253 है.,
		15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है.,
		16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है.,
		17,24,25/0.253 है.प्र.,
174/157	6	21/0.253 है.,
		कुल रकबा 1.847 है.
- जसवीर सिंह पुत्र श्री गुरनेक सिंह का 0.337 है., मेजर सिंह पुत्र श्री गुरनेक सिंह का 0.337 है. तथा जसवन्त कौर पत्नी श्री गुरजन्त सिंह व कुलदीप सिंह पुत्र श्री गुरजन्त सिंह का ब.हि.ब. 0.338 है. हिस्सा का हिस्सा:-

प.नं.	मु.न.	किला नं.
172/157	8	16,25/0.253 है.प्र.,
173/157	7	20,21/0.253 है.प्र.,
		कुल रकबा 1.012 है.
- मोमन पुत्र श्री श्योजीराम (फौत) के वारिसान का हिस्सा:-

प.नं.	मु.न.	किला नं.
173/157	7	3,4,7/0.253 है.प्र.,
		कुल रकबा 0.759 है.
- गुडडी देवी, चिडीया देवी, मन्नीदेवी, सखती देवी, पृथ्वीराज, सुल्तान राम पुत्र/पुत्रीयां सहीराम का ब.हि.ब. का हिस्सा:-

प.नं.	मु.न.	किला नं.
173/157	7	2/0.063 है.,
		8,9,12,13,18,19,22,23/0.253 है.प्र.,
		कुल रकबा 2.087 है.
- हंसराज पुत्र श्री भादरराम का हिस्सा:-

प.नं.	मु.न.	किला नं.
173/157	7	15/0.013 है.गै.मु. खाला,
		16/2/0.025 है.गै.मु. खाला,
		17/0.013 है.
		कुल रकबा 0.051 है.



महायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया



- चक 16 बी.जी.पी. खाता सं. 96/54
जगदीश कुमार पुत्र श्री हजारीराम का हिस्सा :-
- | प.नं. | मु.न. | किला नं. |
|------------|-------|-------------|
| 170/161 28 | | 25/1, 25/2 |
| 171/161 27 | | 21 ता 23, |
| 171/162 33 | | 1/1, 1/2,10 |

170/162 32	5/1, 5/2,
174/155 3	17/2,

कुल रकबा 1.804 है.

2. साहबराम पुत्र श्री हजारीराम
प.नं. मु.न. किला नं.
171/162 33 2/1 ता 5/3, 6/1, 6/3, 7/1, 8, 9
कुल रकबा 1.771 है.

अतः उक्त खाता से संबंधित पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भूअ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भूअ./2024/2275 दिनांक 16.11.2021 एवं पत्रांक 5236 दिनांक 24.12.2025 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

नोट :- तहसीलदार संगरिया ने विभाजन प्रस्ताव में मृतक पक्षकारों के वारिसानों का कब्जा काश्त होना बताया है इसलिए मृतक के वारिसानों की नियमानुसार जांच कर जांच उपरान्त उनके वारिसान के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

शेष आदेश यथावत रहेगा।

(जय कौशिक)
मुख्य कलेक्टर एवं
एच.उपरवाड अधिकारी
संगरिया